समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 11 September 2026

श्रावणी मेले और विधि-व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला, डीएम की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगें अधिकारी-कर्मचारी

RANJEET KUMAR

Published on 27 Jul 2026

समाहरणालय, जहानाबाद

ई-मेल- dm-jehanabad.bih@nic.in | वेबसाइट - jehanabad.bih.nic.in | दूरभाष/फैक्स- 06114-223142

पत्रांक 1693/गो० | (जिला गोपनीय शाखा) | दिनांक 24/07/26

आदेश

जहानाबाद जिला अंतर्गत वर्तमान में विधि-व्यवस्था (Law and Order) संधारण, शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं आगामी श्रावणी मेला 2026 में प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सभी प्रकार की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित की जाती है।

- पूर्व से स्वीकृत छुट्टियां भी तत्काल प्रभाव से स्थगित समझी जाएँगी।
- कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
- पूर्व से छुट्टी पर गए सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब अपने कर्तव्य पर योगदान देना सुनिश्चित करें।

इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की शिथिलता बरते जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

ह०/-
जिला पदाधिकारी
जहानाबाद

ज्ञापांक 1693/गो०, जहानाबाद, दिनांक- 24/07/26

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी कार्यालय प्रधान, तकनीकी एवं गैर तकनीकी विभाग, जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी

[illegible] | [illegible], [illegible] | [illegible]

जिले में विधि-व्यवस्था की स्थिति और आगामी **श्रावणी मेले** को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। **जिलाधिकारी छिरिड़ बाई भूटिया** ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में पहले से स्वीकृत अवकाश भी शामिल हैं।

जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश पहले से स्वीकृत था तथा जो जिला मुख्यालय से बाहर हैं, उन्हें तत्काल अपने कार्यस्थल पर लौटना होगा। साथ ही अगले आदेश तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सामान्य अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में भी कोई अधिकारी या कर्मचारी **जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति** के बिना जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

जिला प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय जिले में विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रावणी मेले के दौरान सुरक्षा, यातायात और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

शुक्रवार को जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है और सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का मानना है कि श्रावणी मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सभी विभागों की सक्रिय उपस्थिति आवश्यक है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/RANJEET KUMAR, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.